

झारखंड विनियोग(संख्या-4) विधेयक, 2006

(सभा द्वारा यथा पारित)

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2006-2007 वर्ष के लिये झारखंड राज्य की संचित निधि में से 5,29,04,21,950 रुपये की निकासी ।
3. विनियोग-1

अनुसूची ।

झारखंड विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006
(सभा द्वारा यथा पारित)

झारखंड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (i) यह अधिनियम झारखंड विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
(iii) यह 1 अप्रैल 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2006-2007 वर्ष के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से 5,29,04,21,950 (पाँच अरब उन्तीस करोड़ चार लाख एककीस हजार नौ सौ पचास) रूपये की निकासी । झारखंड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1 अप्रैल, 2006 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 5,29,04,21,950 (पाँच अरब उन्तीस करोड़ चार लाख एककीस हजार नौ सौ पचास) रूपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेंगी ।

3. विनियोग - इस अधिनियम के द्वारा झारखंड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रैल, 2006 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31 मार्च, 2007 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके सम्बन्ध में विनियोजित की जायेंगी ।

अनुसूची

(धाराएँ 2 और 3 देखें)

संख्या	मांग/ विनियोग	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	अनाधिक राशियाँ		कुल	महायोग
			राजस्व/पूंजी	झारखण्ड विधान-सभा द्वारा दिए गए अनुदान।		
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि विभाग		राजस्व पूंजी			
2	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग		राजस्व पूंजी			
3	भवन निर्माण एवं आवास विभाग		राजस्व पूंजी	100000000		100000000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग		राजस्व पूंजी	26984000		26984000
5	राज्यपाल		राजस्व पूंजी		3430000	3430000
6	निर्वाचन		राजस्व पूंजी			
7	निगरानी		राजस्व पूंजी			
8	नागरिक विमानन विभाग		राजस्व पूंजी			
9	सहकारिता विभाग		राजस्व पूंजी	162750000 104626000		162750000 104626000
10	उर्जा विभाग		राजस्व पूंजी	2869820000		2869820000
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		राजस्व पूंजी	359000		359000
12	वित्त विभाग		राजस्व पूंजी			
13	ब्याज संदाय		राजस्व पूंजी			
14	ऋण की वापसी अदायगी		राजस्व पूंजी			
15	पेंशन		राजस्व पूंजी			
16	राष्ट्रीय दत्त		राजस्व पूंजी			
17	दत्त (वाणिज्य कर) विभाग		राजस्व पूंजी			
18	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग		राजस्व पूंजी	150000		150000

(धाराएँ 2 और 3 देखें)

क्र.सं./ विनियोग	सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/पूंजी	अनाधिक राशियाँ		कुल	महायोग
			शारखण्ड विधान-सभा द्वारा दिए गए अनुदान।	राज्य की संचित निधि पर भारत।		
संख्या			4	5	6	7
19	वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व पूंजी	72936000		72936000	72936000
20	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	27266500 40000000		27266500 40000000	67266500
21	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व पूंजी				
22	गृह विभाग	राजस्व पूंजी	96070000		96070000	96070000
23	उद्योग विभाग	राजस्व पूंजी	9047000		9047000	9047000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व पूंजी				
25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	राजस्व पूंजी				
26	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व पूंजी				
27	विधि विभाग	राजस्व पूंजी	14400000		14400000	14400000
28	शारखण्ड का उच्च न्यायालय	राजस्व पूंजी		3800000	3800000	3800000
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व पूंजी	310000		310000	310000
30	अल्प संख्यक कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी				
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व पूंजी				
32	विधान मंडल	राजस्व पूंजी	2385000		2385000	2385000
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व पूंजी	16012750		16012750	16012750
34	शारखण्ड लोक सेवा आयोग	राजस्व पूंजी				
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व पूंजी	1300000		1300000	1300000
36	लोक स्वास्थ्य अभिवृत्त विभाग	राजस्व पूंजी	2797200		2797200	2797200
37	राजभाषा विभाग	राजस्व पूंजी	2523000		2523000	2523000

(धाराएँ 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/पूंजी	अनाधिक राशियाँ			कुल	महायोग
			महायोग	भारत	योग		
संख्या			महायोग	भारत	योग	महायोग	
1	2	3	4	5	6	7	
38	निबंधन विभाग	राजस्व	150000		150000	150000	
		पूंजी					
39	सहाय्य एवं पुर्नवास विभाग	राजस्व					
		पूंजी					
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	2931500		2931500	2931500	
		पूंजी					
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व					
		पूंजी					
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	1500000000		1500000000	1500000000	
		पूंजी					
43	विज्ञान एवं प्राथमिकी विभाग	राजस्व					
		पूंजी					
44	माध्यमिक प्राथमिक एवं जन किसा विभाग	राजस्व	54342000		54342000	59342000	
		पूंजी	5000000		5000000		
45	ईश्वर विभाग	राजस्व					
		पूंजी					
46	पर्यटन विभाग	राजस्व					
		पूंजी					
47	परिवहन विभाग	राजस्व					
		पूंजी					
48	नगर विकास विभाग	राजस्व	127032000		127032000	127032000	
		पूंजी					
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व					
		पूंजी					
50	लघु सिंचाई विभाग	राजस्व					
		पूंजी					
51	कल्याण विभाग	राजस्व	3000000		3000000	3000000	
		पूंजी					
52	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	41000000		41000000	41000000	
		पूंजी					
	योग	राजस्व	5133565950	7230000	5140795950		
		पूंजी	149626000		149626000		
	महायोग		5283191950	7230000	5290421950	5290421950	

यह विधेयक झारखण्ड विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006 दिनांक 21 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 21 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।